तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/672/2005/चुरू** **अमानुल्लेखां व अन्य बनाम अलीमन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26-5-2025	**एकल–पीठ** **डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री योगेन्द्र सिंह व श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अभिभाषक प्रार्थीगण। श्री ओमप्रकाश भट्ट, अभिभाषक अप्रार्थीगण। **निर्णय** **1–** हस्तगत् निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–84 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–07–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। **2–** अपील ज्ञापन अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अमानुल्ले खां के पिता उमराव खां की खातेदारी की 67 बीघा 19 बिस्वा भूमि वाकै मौजा राजगढ़ जिला चुरू में से उमराव खां ने पंजीकृत बंटवारानामा दिनांक 25–05–1977 द्वारा 21 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रार्थी अमानुल्ले खां व 21 बीघा 5 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 20 सादुले खां को दे दी तथा 25 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्वयं के पास रख ली। उमराव खां की मृत्यु पश्चात 25 बीघा 7 बिस्वा भूमि उमराव खां की बेवा मु0 फातमा के नाम दर्ज हो गई। मु0 फातमा ने यह 25 बीघा 7 बिस्वा भूमि बाबत पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 16–04–1981 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 20 के पक्ष में सम्पादित कर दिया। तहसीलदार राजगढ़ द्वारा नामांतकरण निर्णय दिनांक 22–11–1997 में 42 बीघा 12 बिस्वा भूमि का बंटवारानामा दिनांक 25–05–1977 स्वीकृत कर लिया गया परंतु 25 बीघा 7 बिस्वा भूमि की वसीयत को शून्य करार देते हुए यह भूमि उमराव खां के सभी वारिसान के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 20 द्वारा जिला कलक्टर, चुरू के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 25–06–2002 द्वारा अस्वीकार कर दी। उक्त आदेश से व्यथित होकर उन दोनों द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर के यहां अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 23–07–2003 द्वारा खारिज कर दी, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। **3–** विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया तहसीलदार राजगढ़ को मु0 फातमा द्वारा करायी गयी वसीयत की वैधता को देखने का अधिकार नहीं था। अप्रार्थीगण केवल सक्षम दीवानी न्यायालय से ही	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एलआर/672/2005/चुरू</u>** **अमानुल्लेखां व अन्य बनाम अलीमन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वसीयत को शून्य प्रभावी घोषित करा सकते थे। तहसीलदार राजगढ़ को तो केवल यह सुनिश्चित करना था कि उक्त वसीयत मु0 फातमा द्वारा करायी गयी है अथवा नहीं। उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 20 का कब्जा है एवं राजस्व लगान राज्य सरकार को अदा करते आ रहे हैं। सभी अधीनस्थ न्यायालय नामांतकरण संख्या 551 बाबत खसरा नंबर 1057 हेतु निर्णय करने में मुस्लिम विधि को समझने में विफल रहे हैं। मुस्लिम विधि कृषि भूमि पर लागू नहीं होती है। तहसीलदार राजगढ़ ने यह माना है कि खातेदार मुस्लिम विधि के अनुसार संपत्ति का 1/3 हिस्सा ही वसीयत कर सकता है, किंतु तहसीलदार राजगढ़ ने यह नहीं देखा कि उमराव खां ने संपूर्ण भूमि का विभाजन करते हुये खसरा नंबर 1057 स्वयं के हिस्से में रख ली तथा उमराव खां की मृत्यु होने पर उक्त भूमि मु0 फातमा के नाम दर्ज हो गयी। मु0 फातमा को जो संपत्ति मिली उसकी वसीयत करने का अधिकार उसको था, अतः तहसीलदार राजगढ़ द्वारा खसरा नंबर 1057 रकबा 25 बीघा 7 बिस्वा का नामांतकरण उमराव खां के सभी वारिसान के पक्ष में बहिस्सा बराबर खोले जाने का उनका आदेश क्षेत्राधिकार से परे व प्रावधानों के विपरीत होने से आदेश दिनांक 22–11–1997 पूर्णतया गलत व गैरकानूनी है। बंटवारानामा दिनांक 25–05–1977 के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय में दायर दावा माननीय न्यायालय ने दिनांक 04–09–1987 को खारिज कर उस दस्तावेज को वैध माना था। इस निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर अपील भी उनके द्वारा विड्रो कर ली जाने से खारिज कर दी गई थी, इसलिए बंटवारानामा अनुसार 42 बीघा 12 बिस्वा हेतु निर्णय दिनांक 22–11–1997 में तहसीलदार को पुनः विश्लेषित करना अपेक्षित नहीं था तथा मात्र वसीयत के आधार पर 25 बीघा 7 बिस्वा के सीमित बिंदु हेतु ही निर्णय कर प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 20 के पक्ष में नामांतकरण स्वीकृत किया जाना था। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रार्थना पत्र के साथ अपर जिला न्यायाधीश राजगढ़ के निर्णय दिनांक 01–06–2024 की प्रति प्रस्तुत कर इस निर्णय में निगरानी में उठाये बिंदुओं पर निर्णय दे दिया जाना तथा इसके अनुसार अब निगरानी सारहीन हो जाने का क्लेम खारिज योग्य है। प्रार्थी द्वारा इस आदेश की अपील माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दी जाने से अभी विवाद बिंदुओं पर अंतिम रूप से न्यायनिर्णयन होना नहीं माना जा सकता। उनके द्वारा प्रस्तुत अपील की प्रति प्रस्तुत कर दी गई है। प्रस्तुत निगरानी धारा 84 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश होने से अंदर मियाद है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर के निर्णय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एलआर/672/2005/चुरू</u>** **अमानुल्लेखां व अन्य बनाम अलीमन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

को निरस्त किया जावे।

4— उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि तहसीलदार राजगढ़ का निर्णय पूर्णतः विधिसम्मत है कि मुस्लिम विधि अनुसार कोई भी खातेदार अपने द्वारा धारित भूमि के 1/3 हिस्से तक की वसीयत ही कर सकता है और वसीयत यदि अपने वारिसान के नाम की गई है तो शेष वारिसान की सहमति भी आवश्यक है। मु0 फातमा द्वारा वसीयत अपने दो पुत्रों के हक में अपने शेष वारिसान की सहमति प्राप्त किये बिना की गई है, जो कि मुस्लिम विधि के अनुसार मानने योग्य नहीं है। दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी खसरा नंबर 1057 बाबत वसीयत के संबंध में यही अभिमत दिया जाकर प्रार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज किया गया है तथा इन समवर्ती निश्कर्षों में विधितः हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता है। प्रार्थी द्वारा अपर जिला न्यायाधीश, राजगढ़ न्यायालय में विवादित भूमि हेतु प्रस्तुत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा के दावे को माननीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 01—06—2024 से खारिज कर दिया है, जिसमें दस्तावेज दिनांक 25—05—1977 को बंटवारानामा या दानपत्र न मान कर फैमिली सेटलमेंट दस्तावेज ही माना है। इस निर्णय में भी प्रार्थी की खसरा नंबर 1057 पर घोषणा की रिलीफ अस्वीकार कर मुस्लिम विधि में सम्पत्तिधारक को एक तिहाई हिस्से से अधिक सम्पत्ति की वसीयत करने का अधिकारी नहीं होना माना है। इस प्रकार प्रार्थी के निगरानी बिंदुओं पर सक्षम न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णयन हो जाने से प्रस्तुत निगरानी सारहीन हो चुकी है। प्रस्तुत निगरानी मियाद बाहर प्रस्तुत की जाने से भी खारिज योग्य है। कृषि भूमि में उत्तराधिकार अंतरण संबंधित विधि अनुसार ही किया जाता है, जिसके तहत खसरा नंबर 1057 हेतु विधिसम्मत निर्णय पारित कर फातमा बेवा उमराव खां के समस्त विधिक वारिसान के पक्ष में तहसीलदार का नामांतकरण स्वीकृति निर्णय उचित एवं विधिसम्मत है। अतः प्रार्थी द्वारा दायर निगरानी खारिज की जावे।

5— अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख, उनके निर्णय के साथ—साथ प्रस्तुत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, क्रम—1, राजगढ़ जिला चुरू के निर्णय दिनांक 01—06—2024 का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

6— तहसीलदार राजगढ़ द्वारा उमराव खां का अपनी खातेदारी भूमि हेतु पुत्रगण प्रार्थी अमानुल्ले खां तथा अप्रार्थी संख्या 20 सादुले खां के पक्ष में पंजीकृत बंटवारानामा दिनांक 25—05—1977 के आधार पर प्रत्येक की 21 बीघा 6 बिस्वा भूमि बाबत दिनांक 13—06—1978 को नामांतकरण संख्या 551 तस्दीक किया गया। कालांतर में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एलआर/672/2005/चुरू</u>** **अमानुल्लेखां व अन्य बनाम अलीमन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ तथा राजस्व मंडल न्यायालय में दायर अपील/निगरानी में हुये निर्णय अनुसार उक्त नामांतकरण खारिज कर दिया गया। उमराव खां के अन्य पुत्र नवाब खां जिसके वारिसान अप्रार्थीगण हैं, द्वारा इस बंटवारानामा के विरूद्ध दायर वाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चुरू द्वारा निर्णय दिनांक 04–09–1987 से अस्वीकार कर दिया गया। कालांतर में उसके द्वारा इस निर्णय के विरूद्ध दायर अपील तथा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में दायर वाद विड्रो कर लिये गये। बंटवारानामा सम्पादन पश्चात उमराव खां की शेष भूमि खसरा नंबर 1057 रकबा 25 बीघा 7 बिस्वा उसके फौत होने पर पत्नी मु0 फातमा के नाम दर्ज हुई, जिसके द्वारा इसकी पंजीकृत वसीयत दिनांक 25–02–1981 अमानुल्ले खां व सादुले खां के पक्ष में सम्पादित कर दी गई। **7–** नामांतकरण संख्या 551 निरस्त होने पर विवादित भूमि संपूर्ण पुनः उमराव खां के नाम दर्ज हुई तथा न्यायालयों में प्रकरण समाप्त होने पर नवाब खां द्वारा तहसीलदार राजगढ़ के समक्ष उमराव खां की भूमि पर विरासत का नामांतकरण दर्ज करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई कर उनके पक्षों के विस्तृत विश्लेषण उपरांत दिनांक 22–11–1997 को पारित निर्णय में बंटवारानामा पंजीकृत होकर किसी न्यायालय द्वारा खारिज न किये जाने के आधार पर 42 बीघा 12 बिस्वा का नामांतकरण प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 20 के पक्ष में तथा शेष 25 बीघा 7 बिस्वा का उमराव खां के समस्त विधिक वारिसान के पक्ष में तस्दीक करने का निर्णय दिया गया। 25 बीघा 7 बिस्वा हेतु फातमा बेवा उमराव खां द्वारा सम्पादित वसीयत उनके द्वारा इस आधार पर अवैध व शून्य मानी गई कि मुस्लिम विधि अनुसार फातमा अपने नाम भूमि के 1/3 हिस्से के लिये ही वसीयत कर सकती थी। यह भी कि मुस्लिम विधि अनुसार खातेदार द्वारा अपने निकटतम रिश्तेदार या वारिस के नाम वसीयत उसके वारिसान की सहमति होने पर ही मान्य हो सकती है, जो कि प्रकरण में न होने से फातमा द्वारा संपूर्ण भूमि की वसीयत किया जाना विधि विरूद्ध है। **8–** उपरोक्तानुसार तहसीलदार राजगढ़ द्वारा नामांतकरण संख्या 551 पर दोनों पक्षों की सुनवाई कर विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों का विवेचन कर संपूर्ण भूमि हेतु गुणावगुण पर दिनांक 22–11–1997 को निर्णय पारित किया गया था। अतः हस्तगत निगरानी में प्रार्थी पक्ष का यह क्लेम स्वीकार योग्य नहीं है कि तहसीलदार राजगढ़ को वसीयत से संबंधित भूमि खसरा नंबर 1057 रकबा 25 बीघा 7 बिस्वा हेतु ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। फातमा बेवा उमराव खां द्वारा सम्पादित वसीयत बाबत दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एलआर/672/2005/चुरू</u>** **अमानुल्लेखां व अन्य बनाम अलीमन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	क्रमशः जिला कलक्टर चुरू तथा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा भी इसी विधिक प्रावधान को मान्य होना विवेचित कर तहसीलदार राजगढ़ के निर्णय को सही मानते हुये अमानुल्ले खां व सादुले खां की अपील खारिज की गई है। कृषि भूमि हेतु अधिकारों का अंतरण खातेदार से संबंधित विधि अनुसार ही किया जा सकता है। अतः नामांतकरण हेतु प्रस्तुत आधार दस्तावेज का तहसीलदार द्वारा पक्षकारों पर लागू विधि अनुसार विश्लेषित किया जाना विधिसम्मत है। निगरानी में प्रार्थी पक्ष द्वारा ऐसा कोई पुष्ठ विधिक आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे तहसीलदार तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के वसीयत बाबत विवेचन को गलत तथा विधिविरूद्ध माना जाये। तहसीलदार राजगढ़ द्वारा प्रस्तुत वसीयत प्रभावशून्य होना माना जाकर 25 बीघा 7 बिस्वा के लिए उमराव खां के समस्त पुत्रों व पुत्रियों के पक्ष में नामांतकरण तस्दीक का निर्णय सुविचारित तथा आधारसम्मत आदेश है। दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के निर्णय भी स्पष्ट होकर दोनों पक्षों की सुनवाई कर विधिसम्मत विनिश्चय के साथ पारित किये गये हैं, अतः हमारा सुविचारित मत है कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर का प्रार्थी की अपील अस्वीकार करने का निर्णय तथ्यपरक एवं विधिसम्मत होकर इसमें हस्तक्षेप योग्य त्रुटि नहीं है। **9—** प्रस्तुत निगरानी धारा 84 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने तथा अप्रार्थीगण पक्ष पूर्व में मियाद बिंदु पर कोई प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत न करने से विद्वान अधिवक्ता की निगरानी मियाद बिंदु पर मेनटेनेबल न होने की आपत्ति खारिज योग्य है। जहां तक न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, राजगढ़ के निर्णय दिनांक 01—06—2024 का हस्तगत निगरानी पर प्रभाव का प्रश्न है, इसमें प्रार्थी/वादी द्वारा खसरा नंबर 1057 रकबा 25 बीघा 7 बिस्वा हेतु घोषणा की रिलीफ को अस्वीकार कर निर्णय में यही विवेचित किया गया है कि मुस्लिम विधि अनुसार मु0 फातमा को अपनी सम्पत्ति के एक—तिहाई भाग की ही वसीयत करने का अधिकार था। तहसीलदार तथा दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों का इस बिंदु पर यही निश्कर्ष है। हमारा मानना है कि इस दावे में वर्ष 1977 में संपादित पंजीकृत बंटवारानामें में शामिल आराजीयात पर राईट, टाईटिल बाबत न्यायनिर्णयन विनिश्चित होने की वस्तुस्थिति न होने से इस दावे के निर्णय में बंटवारानामे पर विश्लेषण का हस्तगत निगरानी पर प्रभाव का गुणावगुण पर विवेचन अपेक्षित नहीं है। नवाब खां द्वारा बंटवारानामे के विरूद्ध प्रस्तुत आपत्ति पूर्व में जिला एवं सत्र न्यायालय चुरू द्वारा खारिज कर दी गई थी, जिसे तहसीलदार राजगढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22—11—1997 में विश्लेषित कर लिया गया था।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एलआर/672/2005/चुरू</u>** **अमानुल्लेखां व अन्य बनाम अलीमन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी द्वारा दायर निगरानी मुख्यतः आराजी नंबर 1057 रकबा 25 बीघा 7 बिस्वा हेतु वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों पर उजर स्वरूप प्रस्तुत की गई है। नामांतकरण एक फिसकल उद्देश्यीय समरी कार्यवाही होकर इसमें भूमि पर स्वत्व अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। अतः अधिवक्ता अप्रार्थीगण का अपर जिला न्यायाधीश, राजगढ़ के निर्णय दिनांक 01–06–2024 के प्रभावस्वरूप हस्तगत निगरानी को सारहीन घोषित करवाने का निवेदन स्वीकारयोग्य नहीं है। **10–** समस्त विवेचन उपरांत निर्णय स्वरूप हस्तगत निगरानी खारिज की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर के निर्णय दिनांक 23–07–2003 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जाकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)** **सदस्य**	